



11/01  
 जिला न्यायालय  
 11/8/25  
 जयपुर

| महेशराज बनाम प्रभाती वगैरे<br>मु० न०:- 53/2025<br>निर्णय दिनांक:- 25.09.2025  |            |        |       |      |
|---|------------|--------|-------|------|
| नाम खातेदार मय वल्लिदयत   | खसरा नम्बर | रकबा   | किस्म | लगान |
| महेशराज पुत्र प्रतापराज हि० पूर्ण जाति नट<br>सा. हरसूलिया खातेदार   | 2558       | 0.3541 |       |      |
|   | 2560       | 0.3667 |       |      |
|   | 2561       | 0.2276 |       |      |
|   | 2562       | 0.0885 |       |      |
|   | 2563       | 1.7577 |       |      |
|   | 2559/2     | 0.1336 |       |      |
| योग   | किता 6     | 2.9282 |       |      |
| I. प्रभाती पत्नि स्व० हीरा जाति खटीक हि०<br>1/4 सा. देह खातेदार<br>II. मुकेश पुत्र हीरा हि० 1/4 जाति खटीक<br>सा. देह खातेदार<br>III. राकेश पुत्र हीरा हि० 1/4 जाति खटीक<br>सा. देह खातेदार<br>IV. सुरेश पुत्र हीरा हि० 1/4 जाति खटीक<br>सा. देह खातेदार | 2559/1     | 0.1952 |       |      |
|   |            |        |       |      |
|   |            |        |       |      |
|   |            |        |       |      |
| योग   | किता 1     | 0.1952 |       |      |

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (राकेश कुमार II)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 फागी जिला जयपुर



(2)


-:आदेश:-

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

| क्र. स | नाम खातेदार मय वल्दियत   | खसरा नम्बर | रकबा   | किस्म  | लगान |  |
|--------|--|------------|--------|--------|------|--|
| 1      | महेशराज पुत्र प्रतापराज हि० पूर्ण जाति नट सा. हरसूलिया खातेदार   | 2558       | 0.3541 |        |      |  |
|        |  | 2560       | 0.3667 |        |      |  |
|        |  | 2561       | 0.2276 |        |      |  |
|        |  | 2562       | 0.0885 |        |      |  |
|        |  | 2563       | 1.7577 |        |      |  |
|        |  | 2559 / 2   | 0.1336 |        |      |  |
|        |  | योग        | किता 6 | 2.9282 |      |  |
| 2      | I. प्रमाती पत्नि स्व० हीरा जाति खटीक हि० 1/4 सा. देह खातेदार<br>II. मुकेश पुत्र हीरा हि० 1/4 जाति खटीक सा.देह खातेदार<br>III. राकेश पुत्र हीरा हि० 1/4 जाति खटीक सा. देह खातेदार<br>IV. सुरेश पुत्र हीरा हि० 1/4 जाति खटीक सा. देह खातेदार | 2559 / 1   | 0.1952 |        |      |  |
|        |  | योग        | किता 1 | 0.1952 |      |  |

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(राकेश कुमार II)  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी जिला जयपुर

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :- 53/2025

निर्णय दिनांक :- 25.09.2025

पीठासीन अधिकारी:-राकेश कुमार ा (आर०ए०एस०)

—:उन्वान:-

1. महेशराज पुत्र प्रतापराज जाति नट निवासी ग्राम हरसूलिया तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।

वादी

1. प्रभाती पत्नी स्व. हीरा जाति खटीक निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. मुकेश पुत्र हीरा जाति खटीक निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. राकेश पुत्र हीरा जाति खटीक निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
4. सुरेश पुत्र हीरा जाति खटीक निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
5. तहसीलदार फागी तहसील फागी. जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:- श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा अधिवक्ता वादी  
वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर. टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 25.09.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नीमेडा के सम्बन्ध में दिनांक 24.07.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/25/3875 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा नक्शे - कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरेजात को गलत मानने का कोई आधार नहीं है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा - कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।



लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी  
फागी

फर्द अहकाम

अहिराज बनाम उन्नाती बर्गे

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 53/2025

| क्र.स | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही       | आज्ञा विस्तृत रूप से  |
|-------|---------------------------------|---|
|       | 12 <sup>9</sup> / <sub>25</sub> | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रादी उपन आज्ञा आज्ञाकारिता के तहत कार्य स्थगित किया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 15/9/25 को पेश हो।   |
|       | 15 <sup>9</sup> / <sub>25</sub> | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रादी उपन तहसीलदार फागी में नबशा कुर्रजात पेश किये। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/9/25 को पेश हो। पी.ओ. साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त रहे।  |
|       | 19/9/25                         | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रादी उपन पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 25/9/25 को पेश हो।  |
|       | 25/9/25                         | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रादी उपस्थित। बहस सुनी गई। दौरान बहस वादी की मुताबिक नबशा-कुर्रजात डिफ्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली के मसल शुमार छेकट दर्ज नॉर्स कम हो बाखिल दफ्तर रहे। |

उपखण्ड अधिकारी  
फागी

उपखण्ड अधिकारी  
फागी

नाम न्यायालय :-

केस संख्या:-

क्र.स

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही